न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 17 / 2022 **दायर दिनांकः 11 / 02 / 2022**

उनवान

1. सत्यनारायण आयु 52 वर्ष पुत्र गोपाल उर्फ रामगोपाल जाति बैरवा।
2. शिवराज आयु 45 वर्ष पुत्र गोपाल उर्फ रामगोपाल जाति बैरवा ।
3. अनोखबाई आयु 50 पुत्री गोपाल उर्फ रामगोपाल जाति बैरवा।
4. सज्जनबाई आयु 47 वर्ष पुत्री गोपाल उर्फ रामगोपाल जाति बैरवा।
5. बिरधीबाई आयु 80 वर्ष पत्नि स्व. गोपाल उर्फ रामगोपाल जाति बैरवा निवासी मायथा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए आर0टी0एक्ट
व धारा 136 एल0आर0एक्ट0

उपस्थितिः—

वादीगण :—विद्वान अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह हाडा

निर्णय

दिनाकः 30 / 01 / 2023

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादीगण उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89, 91, 92ए आर0टी0एक्ट0 एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट0 का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल मायथा तहसील अटरू जिला बारां (राज0) के पुराने खाता संख्या 124 के ख0नं0 109 रकबा 10 बीघा, ख0नं0 369 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा ख0नं0 77 / 429 रकबा 3 बीघा 1 बिरवा, कुल किता 3 का कुल रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा आराजी वादीगण के पिता खातेदार गोपाल वल्द मंगला जाति चमार के गैर खातेदारी मे दर्ज चली आ रही थी। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2036 से 2040 वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। वाद पत्र की मद

नं० 1 मे वर्णित आराजी के दोराने सेटलमेन्ट प्रतिवादी के अधिनस्थ कर्मचारियों ने गफलत एवं लापरवाही पूर्वक कार्य करते हुये दादीगण के पिता के गैर खाते की आराजी के नये खाता संख्या 1 के ख0नं0 164 रकबा 0.39 है0 किस्म गै.मु. बरडा, ख0नं0 166 रकबा 2.05 है0 किस्म गे.मु. बरडा, ख0नं0 589 रकबा 0.79 है0 किस्म बरानी, ख0नं0 211/696 रकबा 0.17 है0 किस्म बरानी, ख0नं0 191/699 रकबा 0.60 है0 किस्म बरानी बनाकर प्रतिवादी के खाते दर्ज कर दिया। मिलान क्षेत्रफल व नवीन जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 वाद पत्र के साथ सलग्न हैं। जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद नं 1 व 2 मे वर्णित आराजी को पूर्व में वादीगण के पिता एवं वादीगण के पिता की मृत्यु के पश्चात वादीगण कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण बाद पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित आराजी को अपने पिता के समय से ही कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं। लेकिन वादीगण के पिता की मृत्यु के पश्चात वाद पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित आराजी पर विरासत से नामान्तरण दर्ज करवाने के लिए हल्का पटवारी के पास जाने पर आराजी प्रतिवादी के खाते दर्ज होने का पता चला। बिना सहायता न्यायालय वादीगण वाद पत्र की मद नं0 2 मे वर्णित आराजी को प्रतिवादी के खाते से अपने खाते दर्ज करवाया जाना सम्भव नही हैं। यदि वाद पत्र की मद नं० 2 में वर्णित आराजी को वादीगण के खाते दर्ज नहीं किया गया तो वादीगण को अपरिमित क्षति होगी और अपने पिता की आराजी पर चले आ रहे हक अधिकारो से वंचित होना पडेगा। इसलिए वादीगण वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी को प्रतिवादी के खाते से अपने खाते दर्ज करावाने के अधिकारी हैं। राजस्थान सरकार भूमि धारी होने से एवं वाद घोषणा खातेदारी एवं वाद रिकार्ड दुरूस्ती का होने से प्रतिवादी को धारा 80 सी०पी०सी० का नोटिस प्रेषित कर दिया है। लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही धारा 80 (2) सी०पी०सी० के प्रार्थना पत्र के साथ वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं। वाद कारण प्रथम बार दोराने सेटलमेन्ट प्रतिवादी के अधिनस्थ कर्मचारियो द्वारा राजस्व रिकार्ड में त्रुटी करने पर तथा अन्तिम बार वादीगण द्वारा त्रुटी को दुरुस्त करने का निवेदन करने व रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित करने पर भी त्रुटी को दुरुस्त नहीं करने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। राजस्थान सरकार भूमि धारी होने एवं राजस्व रिकार्ड का संधारण से श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सुना जाने योग्य हैं।

अतः वादीगण माननीय न्यायालय में बाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमायी जावे कि :–

(अ) यह कि वाद पत्र की मद नं0 2 मे वर्णित आराजी खाता संख्या 1 के ख0नं0 164 रकबा 0.39 है0 किस्म गै.मु. बरडा, ख0नं0 166 रकबा 2.05 है0 किस्म गे.मु. बरडा, ख0नं0 589 रकबा 0.79 है0 किस्म बरानी, ख0नं0 211/696 रकबा 0.17 है0 किस्म बरानी, ख0नं0 191/699 रकबा 0.60 है० किस्म बरानी को प्रतिवादी के अधिनस्थ कर्मचारियो द्वारा की गई दोराने सेटलमेन्ट त्रुटी को दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी के खाते से वादीगण के खाते दर्ज करने व जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावें ।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया और लगातार अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

3. साक्ष्यवादी के तहत pw1 शिवराज पुत्र गोपाल उर्फ रामगोपाल जाति बैरवा निवासी मायथा, pw2 सत्यनारायण पुत्र गोपाल उर्फ रामगोपाल जाति बैरवा निवासी मायथा, pw3 द्वारकीलाल पुत्र रत्तीराम जाति बैरवा निवासी मायथा, pw4 द्वारकीलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति बैरवा निवासी मायथा तहसील अटरू के शपथ पत्र पेश किये गये तथा सशपथ गवाह बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादियों ने सशपथ बयान किया कि ग्राम एवं माल मायथा तहसील अटरू जिला बारां (राज0) के पुराने खाता संख्या 124 के ख0नं0 109 रकबा 10 बीघा, ख0नं0 369 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, ख0नं0 77/429 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, कुल किता 3 का कुल रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा आराजी वादीगण के पिता खातेदार गोपाल वल्द मंगला जाति चमार के गैर खातेदारी में दर्ज चली आ रही थी। उक्त वर्णित आराजी के दोराने सेटलमेन्ट के कर्मचारियो ने गफलत एवं लापरवाही पूर्वक कार्य करते हुये वादीगण पिता के गैर खाते की आराजी के नये खाता संख्या 1 के ख0नं0 164

रकबा 0.39 है0 किस्म गै.मु. बरंडा, ख0नं0 166 रकबा 2.05 है0 किस्म गे.मु. बरडा, ख0नं0 589 रकबा 0.79 है0 किस्म बरानी, ख0नं0 211/696 रकबा 0.17 है० किस्म बरानी, ख0नं0 191/699 रकबा 0.60 है0 किस्म बरानी बनाकर खाता राज सरकार के खाते दर्ज कर दिया। जिसको पूर्व में वादीगण के पिता एवं उनकी मृत्यु के पश्चात वादीगण कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण उक्त वर्णित आराजी को अपने पिता के समय से ही कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन वादीगण के पिता की मृत्यु के पश्चात उक्त वर्णित आराजी पर विरासत से नामान्तरण दर्ज करवाने के लिए हल्का पटवारी के पास जाने पर आराजी खाता राज सरकार के खाते दर्ज होने का पता चला वादीगण उक्त वर्णित आराजी को खाता राज सरकार के खाते से अपने खाते दज करावाने के अधिकारी है।

4. अभिभाषक वादीगण की बहस एकतरफा सुनी गई। अभिभाषक वादीगण द्वारा बहस के दौरान वादपत्र में अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए कथन किया कि ग्राम एवं माल मायथा के पुराने खाता संख्या 124 ख0नं0 109 मि0 रकबा 10 बीघा, ख0नं0 369 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, ख0नं0 77/429 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 3 का कुल रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा आराजी वादीगण के पिता खातेदार गोपाल वल्द मंगला जाति चमार को आवंटित होकर गैर खातेदारी में दर्ज हुई। उक्त वर्णित आराजी के दोराने सेटलमेन्ट, सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियो ने गफलत एवं लापरवाही पूर्वक कार्य करते हुये वादीगण के पिता के गैर खातेदारी की आराजी के नये ख0नं0 589 रकबा 0.79 है0 बनाकर किशनलाल पुत्र पांचूलाल जाति कुम्हार के खाते, ख0नं0 193 रकबा 0.58 है0 बनाकर सरवन रेगर के वारिसान के खाते तथा ख0नं0 164 रकबा 0.39 है0 किस्म गै.मु. बरंडा, ख0नं0 166 रकबा 2.05 है0 किस्म गे.मु. बरडा, ख0नं0 211/696 रकबा 0.17 है० किस्म बरानी, व ख0नं0 191/699 रकबा 0.60 है0 किस्म बरानी बनाकर खाता राज सरकार के खाते दर्ज कर दिया जबकि उक्त विवादित आराजी को पूर्व में वादीगण के पिता एवं उनकी मृत्यु के पश्चात वादीगण लगातार कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं। सेटलमेन्ट विभाग के कार्मिकों को वादीगण के पिता गोपाल बैरवा के खाते की आराजी को बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के सरकार व अन्य खातेदारों के नाम दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः राजस्व रिकार्ड को दूरूस्त कर वादीगण के पिता के गैरखातेदारी में चली आ रही उक्त वर्णित आराजी को राज सरकार व अन्य निजी खातेदारों से अपने खाते दर्ज करावाने के आदेश फरमाये जावे।

5. उक्त प्रकरण में तहसीलदार एवं कार्यापालक मजिस्ट्रेट अटरू को मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त कर मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा कमांक 3328 दिनांक 26.12.2022 से मौका रिपोर्ट पेश कर कथन किया गया कि ग्राम मायथा के आराजी ख0नं0 164 की 0.39 है0 किस्म गै0मु0 बरडा, ख0नं0 166 की 2.05 है0 किस्म गै0 मु0 बरडा, ख0नं0 589 की 0.60 है0 किस्म बरानी प्रथम, ख0नं0 211/696 की 0.17 है0 किस्म बरानी प्रथम, ख0नं0 191/699 की 0.60 है0 किस्म बरानी द्वितीय का प्रार्थी की उपस्थिी मव ग्रामवासियान की मौजूदगी में मौका देखा गया। वर्तमान जमाबंदी में ख0नं0 164, 166, 211/696, 191/699 खाता संख्या 1 में दर्ज है तथा ख0नं0 589 खातेदार किशनलाल पुत्र पांचूलाल जाति कुम्हार के खाते दर्ज है। तथा मौके पर ख0नं0 164 पर धनराज पुत्र रामप्रताप जाति मीणा निवासी भैंसडा, ख0नं0 166 पर रमेश पुत्र मन्ना व शान्तीबाई पुत्री मांग्या जाति मीणा निवासी भैंसडा, 589 पर खातेदार किशनलाल पुत्र पांचूलाल जाति कुम्हार निवासी मायथा, ख0नं0 211/696, 191/699 पर प्रेमनारायण पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमन निवासी मायथा का कब्जा काश्त विगत 24–25 वर्षों से चला आ रहा है। उपरोक्त ख0नं0 पर वर्तमान मे भी अप्रार्थी का ही कब्जाकाश्त है।

6. अभिभाषक वादीगण की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया है। वादीगण द्वारा पेश मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 22.05.2020 प्रदर्श पी 7 व ग्राम पंचायत द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 21.05.2020 से यह प्रमाणित होता है कि रामगोपाल पुत्र मंगला जाति बैरवा निवासी मायथा की मृत्यु हो चुकी है और वादीगण उनके वारिसान है। वादीगण द्वारा पेश ग्राम मायथा की जमाबंदी संवत 2037–40 प्रदर्श पी 1 के अनुसार खाता संख्या 124 ख0नं0 109 रकबा 10 बीघा, ख0नं0 369 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, ख0नं0 77/429 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा गोपाल वल्द मंगला जाति चमार के जरिये नामान्तरण संख्या 145 दिनांक 12.11.1975 गैरखातेदारी दर्ज हुई थी । वादी द्वारा पेश भू प्रबंध विभाग का मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श पी2 के अनुसार सेटलमेन्ट ऑपरेशन के दौरान साबिक ख0नं0 369 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा का नया ख0नं0 589 रकबा 0.79 है0, साबिक ख0नं0 77/429 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा का नया ख0नं0 193 रकबा 0.58 है0 बनाये गये। ग्राम मायथा कि जमाबंदी संवत 2074–77 के अनुसार हाल ख0नं0 193 रकबा 0.29 है सरवन रेगर के वारिसान प्रेमबाई, भोलीबाई, शंकरीबाई पुत्रीयां व राधेश्याम पुत्र के खाते दर्ज रिकार्ड हे। इसी प्रकार हाल ख0नं0 589 रकबा 0.60 है0 खातेदार किशन लाल पुत्र

पांचूलाल जाति कुम्हार के खाते दर्ज है। उक्त आराजीयात वादीगण के पिता की गैरखातेदारी से उक्त खातेदारान की खातेदारी में कैसे व कब दर्ज हुऐ –साक्ष्य के अभाव मे स्पष्ट नहीं है। तहसीलदार अटरू द्वारा पेश मौका रिपोर्ट के अनुसार ख0नं0 589 रकबा 0.60 है0 पर विगत 24–25 वर्षों से वादीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है। साक्ष्य के अभाव में यह भी स्पष्ट नहीं है कि उक्त खसरा नंबरान सेटलमेंट के दौरान किशन लाल पुत्र पांचूलाल जाति कुम्हार व सरवन रेगर के वारिसान के खाते दर्ज किये गये है या कब्जा काश्त नहीं होने से नियम 14(4) कृषि हेतु भू आवंटन नियम 1970 के अधीन पुनः सिवायचक दर्ज कर उक्त खातेदारान को आवंटन किये गये है या वादीगण द्वारा बेचान किये गये है।

साबिक ख0नं0 109 मि0 रकबा 10 बीघा के सेटलमेन्ट के दौरान नये ख0नं0 क्या बनाये गये स्पष्ट नहीं है। **वादीगण द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि सेटलमेन्ट के दौरान साबिक ख0नं0 109 मि0 रकबा 10 बीघा के कौन कौन से ख0नं0 बनाये गये है।** यदि वादीगण द्वारा साबिक ख0नं0 109 मि0 रकबा 10 बीघा का सेटलमेन्ट विभाग का मिलान क्षेत्रफल पेश किया जाता तो यह स्पष्ट हो पाता कि उक्त पुराने खसरे से नवीन खसरा नम्बर कौन कौन से बनाये गये और किसके खाते दर्ज किये गये। वादीगण द्वारा पेश मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श पी 2 से यह जाहिर होता है कि साबिक ख0नं0 109 मि0 रकबा 18 बीघा 16 बिस्वा से नये ख0नं0 164 रकबा 0.39 है0, ख0नं0 166 रकबा 2.05 है0 बनाये गये है। साबिक ख0नं0 109 मि0 रकबा 18 बीघा 16 बिस्वा सरकार के खाते दर्ज था या किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित किया गया था–यह साक्ष्य के अभाव में स्पष्ट नहीं है। ग्राम मायथा की जमाबंदी संवत 2074–77 प्रदर्श पी 3 के अनुसार हाल ख0नं0 164 रकबा 0.39 है0, ख0नं0 166 रकबा 2.05 है0, ख0नं0 211/696 रकबा 0.17 है0 व ख0नं0 191/699 रकबा 0.60 है0 किस्म सिवायचक राज सरकार के दर्ज है। मौका मजिस्ट्रेट की मौका रिपोर्ट दिनांक 26.12.2022 के अनुसार हाल ख0नं0 164 के मौके पर विगत 24–25 वर्षों से धनराज पुत्र रामप्रताप जाति मीणा का, ख0नं0 166 पर रमेश पुत्र मन्ना व शान्तीबाई पुत्री मन्ना का, ख0नं0 211/696 व 191/699 पर प्रेमनारायण पुत्र मोजीलाल जाति ब्राहमण निवासी मायथा का कब्जा चला आ रहा है। उक्त सभी चारों खसरा नम्बरों पर वादीगण का विगत अनेक वर्षों से कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। **अतः यह प्रमाणित होता है कि ग्राम मायथा कि विवादित सरकार भूमि ख0नं0 164, 166, 211/696 व 191/699 पर वादीगण का विगत 24–25 वर्षों से कब्जा काश्त नहीं है।**

वादीगण द्वारा हाल ख0नं0 589 रकबा 0.79 है0 पर भी खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है और ख0नं0 589 किशनलाल पुत्र पांचूलाल जाति कुम्हार के खाते दर्ज है। रिकार्डेड खातेदार कृषक किशनलाल पुत्र पांचूलाल को प्रकरण में पक्षकार बनाये बिना एवं सुने बिना प्रकरण को निष्पक्ष एवं प्रभावी रूप से निस्तारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्रकरण में इनके हित स्पष्टतः व प्रतिकूलतः प्रभावित हो रहे है। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में रिकार्डेड खातेदार कृषक किशनलाल पुत्र पांचूलाल को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः नोन जोइण्डर ऑफ पार्टी के कारण भी उक्त वाद अन्तर्गत आदेश 1 नियम 9 सीपीसी खारिज किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण तथा पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में ग्राम मायथा की विवादित आराजी के संबंध में वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0एक्ट0 सहपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 खारिज किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण तथा अपर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर ग्राम मायथा की ख0नं0 164 रकबा 0.39 है0, ख0नं0 166 रकबा 2.05 है0, ख0नं0 589 रकबा 0.79 है0, ख0नं0 211/696 रकबा 0.17 है0 व ख0नं0 191/699 रकबा 0.60 है0 के संबंध में वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0एक्ट0 सहपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)
प्रकरण सं0 17/2022 **दायर दिनांकः 11/02/2022**

उनवान

1. सत्यनारायण आयु 52 वर्ष पुत्र गोपाल उर्फ रामगोपाल जाति बैरवा।
2. शिवराज आयु 45 वर्ष पुत्र गोपाल उर्फ रामगोपाल जाति बैरवा ।
3. अनोखबाई आयु 50 पुत्री गोपाल उर्फ रामगोपाल जाति बैरवा।
4. सज्जनबाई आयु 47 वर्ष पुत्री गोपाल उर्फ रामगोपाल जाति बैरवा।
5. बिरधीबाई आयु 80 वर्ष पत्नि स्व. गोपाल उर्फ रामगोपाल जाति बैरवा निवासी मायथा तहसील अटरू जिला बारां ।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए आर0टी0एक्ट
व धारा 136 एल0आर0एक्ट0

उपस्थितिः—
वादीगण :—विद्वान अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह हाडा
मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....
मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। ग्राम मायथा की ख0नं0 164 रकबा 0.39 है0, ख0नं0 166 रकबा 2.05 है0, ख0नं0 589 रकबा 0.79 है0, ख0नं0 211/696 रकबा 0.17 है0 व ख0नं0 191/699 रकबा 0.60 है0 के संबंध में वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0एक्ट0 सहपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 खारिज किया जाता है।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....
.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 30.01.2023 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)